भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *485
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

***485. श्री मलैयारासन डी.:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत तमिलनाडु में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) स्थापित किए गए हैं;
(ख) इस योजना के तहत तमिलनाडु में जेनेरिक दवाओं और चिकित्सा हेतु उपयोज्य सामग्रियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पीएमबीजेपी बिक्री केन्द्रों और सस्ती दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में विशेषकर कम आय वाले परिवारों सहित आम लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की वहनीयता पर इस योजना का प्रभाव जानने हेतु क्या आकलन किया गया है; और
(ङ) तमिलनाडु में पीएमबीजेके के आगे और विस्तार के लिए यदि कोई योजना है तो वह क्या है और क्या इस योजना के माध्यम से राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवा को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की गई है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

तमिलनाडु में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संबंध में श्री मलैयारासन डी. द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 04.04.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 485 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

दिनांक 31.3.2025 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में खोले गए जन औषधि केंद्रों (जेएके) की संख्या 15,403 थी, जिसमें तमिलनाडु राज्य में खोले गए 1,420 जेएके शामिल थे।

तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में इस योजना के तहत जेनेरिक दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) 200 दवाओं के लिए न्यूनतम भंडारण अनिवार्यता लागू की गई है, जिसमें योजना उत्पाद टोकरी में 100 सबसे अधिक बिक्री होने वाली दवाएं और बाजार में 100 शीघ्रता से बिक्री होने वाली दवाएं शामिल हैं। भंडारण अनिवार्यता के तहत, जन औषधि केंद्र के मालिक उनके द्वारा रखे गए उक्त 200 दवाओं के स्टॉक के आधार पर प्रोत्साहन का दावा करने के पात्र हो जाते हैं।

(ii) योजना के उत्पाद समूह को 2,100 प्रकार की दवाओं और 310 सर्जिकल, चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और उपकरणों तक विस्तारित किया गया है, जिसमें हृदयवाहिका संबंधी, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी और गैस्ट्रो-इन्टेस्टाईनल संबंधी दवाएं और न्यूट्रास्युटिकल्स जैसे सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह शामिल हैं।

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले और देश के अन्य स्थानों के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, योजना कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् भारतीय औषधि और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो नियमित रूप से निम्नलिखित सहित कई उपाय करता है:

(i) विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, मोबाइल एप्लीकेशन, सिनेमा, होर्डिंग्स, बस क्यू शेल्टरों और बसों की ब्रांडिंग, ऑटो रैपिंग और कॉमन सर्विस सेंटरों पर टीवी स्क्रीन से विज्ञापन जारी करना;
(ii) सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से आउटरीच कार्यकलाप; तथा
(iii) प्रति वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाना।

हालांकि तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले के लिए कोई विशेष प्रभाव अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन इस योजना के तहत, जेएके नेटवर्क के माध्यम से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो बाजार में प्रमुख ब्रांडेड दवाओं के एमआरपी की तुलना में लगभग 50% से 80% सस्ती हैं। औसतन, 10 से 12 लाख लोग प्रतिदिन जन औषधि केंद्रों पर जाते हैं और सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ प्राप्त करते हैं। पिछले 10 वर्षों में, एमआरपी के संदर्भ में 6,975 करोड़ रुपए की दवाइयों की बिक्री जेएके के माध्यम से की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप ब्रांडेड दवाओं के मूल्यों की तुलना में नागरिकों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।

सरकार ने तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में खोले गए जेएके की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने जेएके खोलने के लिए फ्रेंचाइजी जैसा मॉडल अपनाया है, जिसके तहत व्यक्तिगत उद्यमियों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, फर्मों, निजी कंपनियों आदि से www.janaushadhi.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तमिलनाडु राज्य सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जेएके की संख्या बढ़ाने की योजना है। तमिलनाडु राज्य सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जेएके की संख्या बढ़ाने और इसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने की योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) जेएके के मालिकों द्वारा विनिर्दिष्ट दवाओं का स्टॉक बनाए रखने जैसी कुछ शर्तों को पूरा करने पर उनके द्वारा की गई मासिक बिक्री के 20% के प्रोत्साहन, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपए है, के लिए सभी जेएके मालिक पात्र हैं, इसके अतिरिक्त, 112 आकांक्षी जिलों (जिसमें तमिलनाडु राज्य के विरुधनगर और रामनाथपुरम जिले शामिल हैं), पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों और द्वीप क्षेत्रों में खोले गए केन्द्रों को फर्नीचर, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर और अन्य फिक्स्चर के लिए सहायता के रूप में 2 लाख रुपए का एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(ii) तमिलनाडु सरकार सहित राज्य सरकारों से समय-समय पर सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जेएके खोलने के लिए किराया-मुक्त स्थान उपलब्ध कराने और योजना के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में जेएके की संख्या बढ़ाने के लिए, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) और अन्य सहकारी समितियों के माध्यम से जेएके खोलने के लिए सहकारी क्षेत्र के साथ भागीदारी की गई है। दिनांक 31.3.2025 तक, देश भर में पीएसीएस और अन्य सहकारी समितियों में 730 जेएके खोले जा चुके हैं, जिनमें तमिलनाडु राज्य में पांच जेएके शामिल हैं।

*****